न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2023 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक भीलवाडा	बनाम	1. श्री सत्यनारायण पुत्र हजारी जाट निवासी पांसल जिला भीलवाडा 2. श्री शिवलाल जाट पुत्र चम्पालाल जाट निवासी नारायणपुरा (डेडवास) थाना पुर जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री नानूलाल तेली अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से
3. श्री रामेश्वरलाल जाट अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 02 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 12.10.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 25.02.2023 को सी.ओ. सदर की सूचना पर पुर थाना पहूंचे। जहां पर पुलिस उपनिरीक्षक ने बताया कि दिनांक 25.02.2023 को दौराने गश्त पालना देवनारायण मंदिर के सामने हाईवे रोड पर होटल श्री देव एवं जय श्री नाहर श्रृंगी कृपा होटल पर डीजल जैसे पदार्थ से भरे हुये ड्रम मिले। जहां पर विपक्षीगण मौजूद मिले। जिन्होनें अवैध डीजल जैसा तरल/पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण व अवैध विक्रय करने बाबत् लाइसेन्स मांगा तो नहीं होना बताया तथा थाने पर लिये गये बयान में आरोपियों ने अवैध भण्डारण एवं विक्रय किया जाना स्वीकार किया। इस प्रकार दोनों आरोपियों के बयानों से स्पष्ट हो गया कि भण्डारित अवैध डीजल जैसा तरल/पेट्रोलियम पदार्थ का मालिक भी वही हैं एवं उसके द्वारा डीजल जैसा तरल/पेट्रोलियम पदार्थ वाहनों को बेचा जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः वजह सबूत विपक्षी श्री सत्यनारायण पुत्र हजारी जाट निवासी पांसल एवं श्री शिवलाल जाट पुत्र चम्पालाल जाट निवासी नारायणपुरा के कब्जे से 1210 लीटर अवैध डीजल जैसा तरल /पेट्रोलियम पदार्थ जब्त सरकार किया जाकर सैम्पलिंग नमूना लेने के बाद 1207 लीटर अवैध डीजल जैसा तरल

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

/पेट्रोलियम को पुलिस थाना पुर को सुपुर्द किया गया। निवेदन हैं कि जब्तशुदा डीजल जैसा तरल /पेट्रोलियम पदार्थ 02 ड्रम व 60–60 लीटर की 07 प्लास्टिक की नीले व काले रंग की केन एवं शिवलाल के होटल से 01 लोहे का ड्रम एवं 01 प्लास्टिक का ड्रम, 02 प्लास्टिक केन कुल 1207 लीटर अवैध डीजल जैसा तरल /पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.03.202 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि जब्तशुदा डीजल जैसा तरल /पेट्रोलियम पदार्थ 02 ड्रम व 60–60 लीटर की 07 प्लास्टिक की नीले व काले रंग की केन एवं शिवलाल के होटल से 01 लोहे का ड्रम एवं 01 प्लास्टिक का ड्रम, 02 प्लास्टिक केन कुल 1207 लीटर अवैध डीजल जैसा तरल /पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश फरमावें।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर •भीलवाड़ा (राज.)•

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगणों द्वारा उक्त कृत्य भूलवश किया गया हैं। उक्त पदार्थ विकय करने बाबत् कोई कानूनी जानकारी नहीं होने से इनका विकय किया जा रहा था। गावं वासियों की सुविधा हेतु उक्त तरल पदार्थ का भण्डारण किया गया था, क्योंकि आसपास कोई पेट्रोल पम्प नही होने से रात बिरात गांव वासियों को काफी परेशानी होती थी। पहली भूल मानते हुये प्रकरण में माफी प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट एवं मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से कुल 1207 लीटर डीजल जैसा तरल /पेट्रोलियम पदार्थ की कालाबाजारी का कार्य किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जाकर जब्तशुदा डीजल जैसा तरल /पेट्रोलियम पदार्थ 02 ड्रम व 60–60 लीटर की 07 प्लास्टिक की नीले व काले रंग की केन एवं शिवलाल के होटल से 01 लोहे का ड्रम एवं 01 प्लास्टिक का ड्रम, 02 प्लास्टिक केन कुल 1207 लीटर अवैध डीजल जैसा तरल /पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा डीजल जैसा तरल /पेट्रोलियम पदार्थ मय 02 ड्रम व 60–60 लीटर की 07 प्लास्टिक की नीले व काले रंग की केन एवं शिवलाल के होटल से 01 लोहे का ड्रम एवं 01 प्लास्टिक का ड्रम, 02 प्लास्टिक केन कुल 1207 लीटर अवैध डीजल जैसा तरल /पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा डीजल जैसा तरल /पेट्रोलियम पदार्थ 02 ड्रम व 60–60 लीटर की 07 प्लास्टिक की नीले व काले रंग की केन एवं शिवलाल के होटल से 01 लोहे का ड्रम एवं 01 प्लास्टिक का ड्रम, 02 प्लास्टिक केन कुल 1207 लीटर अवैध डीजल जैसा तरल /पेट्रोलियम पदार्थ का अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)